

1	विभाग—	श्रम विभाग
2	योजना का नाम —	निर्माण श्रमिकों में कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन की योजना
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी—	निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल सम्बन्धी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं ऐसे प्रशिक्षण में हुये व्यय एवं मजदूरी के नुकसान की प्रतिपूर्ति करना है। योजना के अन्तर्गत लाभ किसी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शासकीय पालीटेक्निक अथवा निजी पालीटेक्निक से किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जो तकनीकी उन्नयनों/प्रमाणीकरण से सम्बन्धित हो, में प्रशिक्षण प्राप्त करने की दशा में ही सुलभ हो सकेगा।
4	पात्रता की अर्हता—	पंजीकृत निर्माण श्रमिक, उसकी पत्नी, अविवाहित पुत्री तथा 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को अनुमन्य होगा।
5	आवेदन की प्रक्रिया—	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।